प्रकाशन हेतु अनुमोदित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्रीमान. आई.एम.कुद्दुसी, न्यायाधीश एवं

माननीय श्रीमान. जी मिन्हाजुद्दीन, न्यायाधीश ।

प्रथम अपील (विविध) संख्या 53 / 2010

अपीलार्थी : श्रीमती वर्षा रानी नाग

बनाम

प्रत्यर्थी : हेरोल्ड विनय नादान

विचार के लिए निर्णय

सही /-
जी. मिन्हाजुद्दीन
न्यायाधीश
09.12.2011

माननीय न्यायाधीश श्री आई.एम. कुद्दुसी

मैं सहमत हूँ

सही /-
आई.एम. कुद्दुसी
न्यायाधीश

09.12.2011 को निर्णय सुनाए जाने हेतु सुचिबद्ध करें ।

सही /-
जी. मिन्हाजुद्दीन
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्रीमान. आई.एम.कुद्दुसी, न्यायाधीश एवं

माननीय श्रीमान. जी मिन्हाजुद्दीन, न्यायाधीश ।

प्रथम अपील (विविध) संख्या 53 / 2010

अपीलार्थी : श्रीमती वर्षा रानी नाग

बनाम

प्रत्यर्थी : हेरोल्ड विनय नादान

उपस्थित :

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय के. देशमुख, अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री अतुल पांडे, अधिवक्ता ।

निर्णय

(आज दिनांक 09.12.2011 को उदघोषित)

द्वारा जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायाधीश

1. यह अपील, प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रायपुर द्वारा सिविल वाद संख्या 189-ए / 07 में दिनांक 8 अप्रैल, 2010 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत दायर की गई है, जिसके तहत प्रत्यर्थी पति द्वारा भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10 के अंतर्गत

दायर विवाह विच्छेद के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है और अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी के बीच दिनांक 06.06.2003 को संपन्न विवाह विघटन की डिक्री पारित कर दी गई है ।

2. तथ्य, जो विवादित नहीं हैं, यह हैं कि दोनों पक्षों के बीच विवाह दिनांक 06.06.2003 को सीएनआई चर्च, तखतपुर, जिला बिलासपुर में ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था । चूँकि विवाह संपन्न होने से पहले, अपीलार्थी पत्नी महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर में परियोजना अधिकारी के पद पर शासकीय सेवा में है ।

3. तलाक की याचिका में संक्षेप में दिए गए तथ्य यह हैं कि दोनों पक्षों के बीच विवाह ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार दिनांक 06.06.2003 को सीएनआई चर्च, तखतपुर, जिला बिलासपुर में संपन्न हुआ था । विदाई के बाद, अपीलार्थी / पत्नी दिनांक 07.06.2003 से दिनांक 11.06.2003 तक जगदलपुर स्थित अपने ससुराल में रहीं और उसके बाद, दिनांक 12.06.2003 को नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए कुल्लू-मनाली और अन्य स्थानों पर गया, जहाँ से वे लगभग दिनांक 22 जून, 2003 को जगदलपुर वापस लौट आए । इसके बाद, अपीलार्थी पत्नी दिनांक 27.06.2003 तक जगदलपुर स्थित अपने वैवाहिक घर में रही और उसके बाद, दिनांक 28.06.2003 को वह प्रत्यर्थी पति के साथ रायपुर में अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए चली गई । प्रत्यर्थी / पति अपनी पत्नी (अपीलार्थी) के निवास की व्यवस्था करने के बाद जगदलपुर वापस लौट आया । प्रत्यर्थी / पति ने अपीलार्थी / पत्नी को दिनांक 31 जुलाई, 2003 को जगदलपुर में प्रत्यर्थी के पिता की स्मृति में आयोजित रफ़ी नाइट समारोह में शामिल होने के लिए कहा, जिस पर अपीलार्थी पत्नी जगदलपुर गई और उक्त समारोह में शामिल होने के बाद, लगभग 3-4 दिन वहाँ रही और फिर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए रायपुर वापस लौट आई ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रत्यर्थी पति द्वारा दायर विवाह विच्छेद की याचिका में दिए गए कथनों के अनुसार, पहले दिन से ही अपीलार्थी / पत्नी का रवैया प्रत्यर्थी / पति और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति उदासीन और कठोर था और वह हमेशा अपने पद के बल पर उन पर हावी रहती थी । प्रत्यर्थी / पति के अनुसार, विवाह से पहले, दोनों पक्षों के बीच यह सहमति हुई थी कि विवाह के बाद, अपीलार्थी पत्नी अपना स्थानांतरण जगदलपुर करवा लेगी और यदि वह ऐसा करने में असफल रहती है, तो वह शासकीय सेवा से त्याग पत्र देकर प्रत्यर्थी / पति के साथ जगदलपुर में विवाहित जीवन व्यतीत करेगी । हालाँकि, शादी के बाद, अपीलार्थी / पत्नी ने जगदलपुर में अपने स्थानांतरण के लिए कभी प्रयास नहीं किया और जब प्रत्यर्थी / पति ने उसे (अपीलार्थी) जगदलपुर स्थानांतरित करने के लिए प्रयास करने की कोशिश की, तो उसने साफ इनकार कर दिया और अपने पति (प्रत्यर्थी) से कहा कि वह उसके जगदलपुर स्थानांतरण के लिए कोई प्रयास न करें । इसके अलावा, दिनांक 31 जुलाई, 2003 को आयोजित रफ़ी नाइट समारोह में भाग लेने के बाद, अपीलार्थी पत्नी ने कभी उसके साथ रहने की कोशिश नहीं की । उसने उसे (अपीलार्थी) जगदलपुर में अपने साथ विवाहित जीवन बिताने के लिए मनाने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन उसके अड़ियल रवैये के कारण असफल रहा । इस प्रकार, अपीलार्थी पत्नी ने उसे अपनी संगति से वंचित कर दिया और उसे छोड़ दिया । प्रत्यर्थी पति की मां ने भी पत्र लिखकर और अपनी बहू (अपीलार्थी) से अनुरोध करके अपने (अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के) मतभेदों को, यदि कोई हो, दूर करने और प्रत्यर्थी पति के साथ जगदलपुर में विवाहित जीवन शुरू करने का अनुरोध करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहीं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रत्यर्थी / पति ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपीलार्थी पत्नी को दिनांक 04.02.2004 और दिनांक 26.09.2005 को दो नोटिस भेजे थे, जिनमें उससे 15 दिनों के भीतर आकर

जगदलपुर में उसके साथ रहने का अनुरोध किया गया था। ये नोटिस भेजने से पहले, वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपीलार्थी पत्नी को जगदलपुर में उसके साथ रहने और सुखी वैवाहिक जीवन बिताने के लिए मनाने के लिए रायपुर गया था, लेकिन अपीलार्थी / पत्नी और उसके रिश्तेदारों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें चले जाने को कहा। प्रत्यर्थी / पति की माँ द्वारा अपीलार्थी / पत्नी को भेजे गए पत्रों के उत्तर में, उसने अपने बचाव में, दिनांक 06.10.2005 को प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों पर दहेज की माँग के झूठे आरोप लगाए। दिनांक 06.10.2005 को अपीलार्थी / पत्नी अपने रिश्तेदारों के साथ प्रत्यर्थी / पति और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध पुलिस स्टेशन - बोधघाट में एक झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद जगदलपुर में प्रत्यर्थी / पति के निवास पर आई थी, जिसके कारण उसे और उसके रिश्तेदारों को प्रत्यर्थी / पति द्वारा घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद, दिनांक 30.10.2005 को भी, अपीलार्थी / पत्नी कुछ व्यक्तियों के साथ प्रत्यर्थी / पति के घर फिर से गई थी और इस बार भी, प्रत्यर्थी / पति द्वारा उसे घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि प्रत्यर्थी पति और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दहेज की मांग से संबंधित झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उक्त प्राथमिकी के आधार पर, बिना किसी कारण के, प्रत्यर्थी / पति और उसके परिवार के सदस्यों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जांच के बाद, एक आरोप पत्र दायर किया गया, जिसके आधार पर उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है, जिसके परिणामस्वरूप उनका अपमान हुआ और वे समुदाय की नजरों में गिर गए। इस प्रकार, प्रत्यर्थी / पति का साथ छोड़ने के अलावा, अपीलार्थी / पत्नी ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध एक पूरी तरह से झूठी प्राथमिकी दर्ज कराकर उनके साथ अत्यंत क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिणामस्वरूप उन्हें अपमानित और प्रताड़ित किया गया । इन आधारों पर, प्रत्यर्थी / पति ने रायपुर स्थित कुटुंब न्यायालय में भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की याचिका दायर की ।

6. अपीलार्थी / पत्नी ने अपना लिखित बयान दाखिल किया और विवाह विच्छेद की याचिका में दिए गए सभी प्रतिकूल कथनों का खंडन किया । उसने तर्क दिया कि उसके विवाह में, उसके माता-पिता ने अपनी आर्थिक क्षमता से परे घरेलू सामान और आभूषण दिए थे । इसके बावजूद, प्रत्यर्थी / पति और उसके परिवार के सदस्य संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने टीवी और कार न दिए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी । दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति नहीं बनी थी कि विवाह के बाद, अपीलार्थी / पत्नी या तो अपना स्थानांतरण जगदलपुर करवा लेगी या अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर प्रत्यर्थी / पति के साथ जगदलपुर में वैवाहिक जीवन व्यतीत करेगी । इसके विपरीत, यह सहमति हुई कि अपीलार्थी पत्नी, जो महिला एवं बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी थी और अब भी है, विवाह के बाद भी अपनी सेवा में बनी रहेगी और पति-पत्नी संतुलन बनाकर अपनी सुविधानुसार एक-दूसरे से मिलते रहेंगे । हालाँकि, टीवी और कार न दिए जाने के कारण, प्रत्यर्थी / पति और उसके परिवार के सदस्यों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और उसके प्रति उदासीन रवैया अपनाया । प्रत्यर्थी / पति ने अपनी हनीमून यात्रा के दौरान भी उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया और उदासीन रवैया अपनाया, साथ ही विवाह में टीवी और कार न दिए जाने की शिकायत भी की, जिसके कारण, केवल अप्रिय स्थिति से बचने के लिए, उन्होंने अपनी हनीमून यात्रा बीच में ही रोक दी और दिनांक 22 जून, 2003 को जगदलपुर वापस लौट आए और लगभग 5-6 दिन रहने के बाद, वह अपने पति (प्रत्यर्थी) के साथ दिनांक 28 जून, 2003 को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए रायपुर वापस लौट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आई । उसके बाद, प्रत्यर्थी / पति ने उसकी कुशलक्षेम नहीं पूछी, जबकि दिनांक 31 जुलाई, 2003 को जगदलपुर में आयोजित रफी नाइट समारोह में शामिल होने के लिए कहने पर, प्रत्यर्थी / पति ने कहा था कि वह एक आज्ञाकारी पत्नी के रूप में जगदलपुर में आयोजित समारोह में शामिल हुई थी और उसके बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए रायपुर लौट आई थी । प्रत्यर्थी / पति और उसके परिवार के सदस्यों ने अपीलार्थी / पत्नी की कुशलक्षेम पूछने की परवाह नहीं की और उसकी उपेक्षा की और टीवी व कार की अपनी मांग पूरी न होने पर, उस पर नौकरी से त्याग पत्र देकर प्रत्यर्थी / पति के साथ जगदलपुर में वैवाहिक जीवन व्यतीत करने का दबाव बनाने लगे । इसके बाद भी, अपीलार्थी पत्नी ने जगदलपुर जाकर प्रत्यर्थी पति के साथ रहने की छह बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे घर में घुसने नहीं दिया गया और प्रत्यर्थी / पति व उसके परिवार के सदस्यों ने उसे भगा दिया । प्रत्यर्थी पति और उसके परिवार के सदस्यों के इस तरह के आचरण ने अपीलार्थी / पत्नी को उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मजबूर किया । अपीलार्थी / पत्नी हमेशा से प्रत्यर्थी / पति के साथ विवाहित जीवन जीने के लिए तैयार थी और अब भी है, साथ ही रायपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करती है, लेकिन प्रत्यर्थी पति और उसके परिवार के सदस्यों के अड़ियल रवैये के कारण असफल रही । अपीलार्थी / पत्नी ने न तो प्रत्यर्थी पति का साथ छोड़ा है, न ही उसके और उसके परिवार के सदस्यों के साथ क्रूरता से पेश आई है, बल्कि इसके विपरीत, प्रत्यर्थी पति ने अपीलार्थी / पत्नी को छोड़ दिया है । अपने लिखित बयान में इन कथनों के साथ, अपीलार्थी / पत्नी ने तलाक की याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की थी ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने और उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान कुटुंब न्यायालय ने प्रत्यर्थी / पति के विवाह विच्छेद के वाद को आक्षेपित निर्णय और डिक्रीत कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी / पत्नी ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है ।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, अधिनस्त न्यायालय के अभिलेख (एलसीआर) तथा आक्षेपित निर्णय और डिक्री का अवलोकन किया है ।

9. मौखिक तर्कों के अलावा, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने तर्कों के समर्थन में केस कानूनों के साथ-साथ लिखित तर्क भी प्रस्तुत किए हैं ।

10. इस अपील में निर्णय लिया जाने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि - क्या अपीलार्थी / पत्नी / प्रत्यर्थी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्रत्यर्थी पति / वादी का साथ छोड़ दिया है, तथा प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है ?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10 के अंतर्गत दायर विवाह विच्छेद की याचिका में दिए गए इस कथन को प्रमाणित करने के लिए कि प्रत्यर्थी / पति ने, स्वयं को आ. सा.-1 के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, अपनी माँ श्रीमती सुशीला नादान और श्रीमती वुला जॉन से क्रमशः आ. सा.-2 और आ. सा.-3 के रूप में परीक्षण किया है । दूसरी ओर, लिखित बयान में दिए गए इस कथन को प्रमाणित करने के लिए कि अपीलार्थी पत्नी ने स्वयं को आ. सा.-1 के रूप में परीक्षण करने के अतिरिक्त, पादरी रवींद्र मसीह से आ. सा.-2 के रूप में परीक्षण किया है ।

12. प्रत्यर्थी / पति और उसकी माँ श्रीमती सुशीला नादान (अ.सा. - 2) के बयानों के अनुसार, अपीलार्थी का रवैया शादी के बाद पहले दिन से ही उदासीन और कठोर था और चूँकि वह महिला एवं बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी थी, वह अपने पति (प्रत्यर्थी) और

उसके रिश्तेदारों को अपने अधीनस्थों जैसा मानती थी । प्रत्यर्थी / पति (अ.सा. - 1) ने सीपीसी के आदेश 18 नियम 4 के तहत दायर अपने शपथ पत्र के अनुच्छेद - 2 में कहा है कि स्वागत समारोह के दिन, वह अपनी पत्नी (अपीलार्थी) के साथ मंच पर बैठा था और जब उनका अभिवादन करने के बाद, अपीलार्थी पत्नी के रिश्तेदार विदा हो रहे थे, तो अपीलार्थी / पत्नी ने सभी प्रचलित प्रथाओं और मानदंडों के विरुद्ध, उसे (प्रत्यर्थी) मंच छोड़ने और अपने रिश्तेदारों को विदा करने के लिए जाने के लिए मजबूर किया । प्रतिवादी की माँ श्रीमती सुशीला नादान (अ.सा. - 2) ने कहा है कि उन्होंने दुल्हन (अपीलार्थी) के लिए सोने के आभूषण लिए थे और उन्हें देखकर अपीलार्थी / पत्नी ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी कि ये सोने के नहीं हैं बल्कि सोने की पॉलिश वाली चाँदी के हैं या बेन्टेक्स कंपनी के हैं । अपीलार्थी पत्नी द्वारा प्रतिपरीक्षण में इन दोनों गवाहों, अर्थात् अ.सा. - 1 और अ.सा. - 2, के बयान को चुनौती नहीं दी गई है । इन गवाहों के बयानों के अनुसार, विवाह से पहले यह तय हुआ था कि विवाह के बाद या तो अपीलार्थी / पत्नी अपना स्थानांतरण जगदलपुर करवा लेगी या अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर प्रत्यर्थी / पति के साथ जगदलपुर में वैवाहिक जीवन व्यतीत करेगी, लेकिन विवाह के बाद न तो अपीलार्थी पत्नी ने अपना स्थानांतरण जगदलपुर करवाने का प्रयास किया और न ही अपने पति (प्रत्यर्थी) को अपना स्थानांतरण जगदलपुर करवाने का प्रयास करने दिया । इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी पत्नी (ब. सा. -1) प्रत्यर्थी से विवाह से पहले ही महिला एवं बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत थी ।

13. अपीलार्थी पत्नी ने इस बात से इनकार किया है कि शादी के समय यह तय हुआ था कि या तो वह जगदलपुर तबादला करा लेगी या अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे देगी । इसके विपरीत, उसने कहा है कि यह तय हुआ था कि शादी के बाद भी अपीलार्थी अपनी नौकरी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जारी रखेगी और दोनों पक्ष एक संतुलन बनाकर अपनी सुविधानुसार एक-दूसरे से मिलते रहेंगे ।

14. अपीलार्थी पत्नी की नौकरी स्थायी है । प्रत्यर्थी / पति (अ.सा. - 1) ने स्वयं अपनी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जगदलपुर में उनका एक कंप्यूटर संस्थान है, जो वर्तमान में घाटे में चल रहा है और संस्थान से उनकी वर्तमान मासिक आय 1,000/- रुपये है और वे अपनी माँ की पेंशन पर निर्भर हैं । ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थी पति और उनके परिवार के सदस्यों की यह माँग कि या तो अपीलार्थी पत्नी अपना स्थानांतरण जगदलपुर करा ले या अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दे, अनुचित प्रतीत होती है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । वैसे भी, किसी सरकारी कर्मचारी के लिए किसी विशेष स्थान पर स्थानांतरण करवाना उसके वश में नहीं है और इस संबंध में विशेषाधिकार राज्य सरकार के पास है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, विशेषकर प्रत्यर्थी / पति, उसकी मां श्रीमती सुशीला नादन (अ.सा. - 2) और अपीलार्थी / पत्नी के बयानों का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी पत्नी, दिनांक 06.06.2003 को अपने विवाह के बाद, दिनांक 07.06.2003 से दिनांक 11.06.2003 तक जगदलपुर स्थित अपने ससुराल में रही और फिर दिनांक 12 जून से दिनांक 22 जून, 2003 तक कुल्लू-मनाली और अन्य स्थानों पर हनीमून यात्रा पर गई और दिनांक 22 जून से दिनांक 27 जून, 2003 तक पुनः अपने ससुराल में रही, और उसके बाद दिनांक 28 जून, 2003 को अपने कार्यभार ग्रहण करने के लिए रायपुर लौटी । इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी / पति के पूछने पर अपीलार्थी / पत्नी जगदलपुर में रफी नाइट के समारोह में शामिल हुई थी, जो प्रत्यर्थी के परिवार द्वारा उसके दिवंगत पिता की स्मृति में दिनांक 31 जुलाई, 2003 को आयोजित किया गया था और

उक्त समारोह में शामिल होने के बाद, अपीलार्थी पत्नी दिनांक 3 अगस्त, 2003 के आसपास अपने कर्तव्यों को ग्रहण करने के लिए रायपुर वापस आ गई थी । उसके बाद, प्रत्यर्थी / पति और उसकी मां श्रीमती सुशीला नादन (अ.सा. - 2) के बयानों के अनुसार, अपीलार्थी / पत्नी अपने पति (प्रत्यर्थी) के साथ रहने के लिए जगदलपुर वापस नहीं लौटी, जबकि अपीलार्थी / पत्नी के बयान के अनुसार, उसने जगदलपुर में अपने पति (प्रत्यर्थी) के साथ रहने की छह बार कोशिश की थी, लेकिन उसे घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और भगा दिया गया ।

16. अपीलार्थी / पत्नी द्वारा अपने लिखित बयान और पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान के अनुसार, प्रत्यर्थी / पति और उसके परिवार के सदस्यों ने विवाह के तुरंत बाद, इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी कि अपीलार्थी / पत्नी को उसके माता-पिता द्वारा कार और टीवी नहीं दिया गया है और जब वह प्रत्यर्थी / पति के साथ हनीमून यात्रा पर थी, तो उसने कार और टीवी न दिए जाने की शिकायत की थी और यह भी कहा था कि उन्होंने (प्रत्यर्थी के परिवार ने) उसकी बहन मनीषा को विवाह के समय ज़मीन का एक टुकड़ा दिया था और इसलिए, अपीलार्थी पत्नी को भी एक भूखंड की व्यवस्था करनी होगी । हालाँकि, उक्त माँग पूरी न होने के कारण, वे अपीलार्थी के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे और एक मुद्दा उठाया था, जिस पर विवाह के समय सहमति नहीं बनी थी, कि या तो अपीलार्थी / पत्नी को जगदलपुर में अपना स्थानांतरण करा लेना चाहिए या फिर अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे देना चाहिए ।

17. जहाँ तक हनीमून ट्रिप के दौरान प्रत्यर्थी पति द्वारा प्लॉट की माँग का संबंध है, अपीलार्थी / पत्नी द्वारा दायर लिखित बयान में कोई कथन नहीं है । दहेज में कार और टीवी की माँग के संबंध में, अपीलार्थी / पत्नी के मौखिक बयान के अलावा, इसे प्रमाणित करने के लिए कोई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्य साक्ष्य नहीं है । यह तथ्य कि प्रत्यर्थी की माँ ने अपनी बहू (अपीलार्थी) को दो पत्र लिखे थे, अपीलार्थी पत्नी द्वारा स्वीकार किया गया है और अपीलार्थी पत्नी ने उन पत्रों के उत्तर भी भेजे हैं । यद्यपि वे पत्र और उनके उत्तर पक्षकारों द्वारा दायर नहीं किए गए हैं, लेकिन गवाहों के बयानों और पक्षकारों की अभिवचनो से यह स्पष्ट है कि उन पत्रों के माध्यम से, प्रत्यर्थी की माँ श्रीमती सुशीला नादान (अ.सा. - 2) ने अपनी बहू (अपीलार्थी) को अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच मतभेदों को दूर करने और साथ रहने की सलाह दी थी । यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी पत्नी द्वारा प्रत्यर्थी की माँ के पत्रों पर भेजे गए उत्तरों से, प्रत्यर्थी पति और उसके परिवार के सदस्यों पर पहली बार दहेज की माँग के आरोप लगाए गए थे । अपीलार्थी / पत्नी ने अपनी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि विवाह के समय कार और टीवी की कोई माँग नहीं की गई थी और विवाह के बाद भी ऐसी माँग की गई थी । इसके ध्यान में रखते हुये, यह सिद्ध करने के लिए कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि प्रत्यर्थी पति और उसके परिवार के सदस्यों की ओर से कभी दहेज की कोई माँग की गई थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. जहां तक परित्याग का प्रश्न है, प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दिनांक 31 जुलाई, 2003 को जगदलपुर में आयोजित रफी नाइट समारोह में शामिल होने और दिनांक 3 अगस्त, 2003 को रायपुर लौटने के बाद अपीलार्थी पत्नी प्रत्यर्थी पति के साथ नहीं रही । उसने स्वीकार किया है कि दिनांक 2 फरवरी, 2004 को प्रत्यर्थी पति अपनी मां और अन्य रिश्तेदारों के साथ विवाद सुलझाने के लिए रायपुर आया था, हालांकि विवाद का समाधान नहीं हो सका । यह भी विवाद में नहीं है कि इसके बाद प्रत्यर्थी / पति (अ.सा. - 1) ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत डाक से दिनांक 04.02.2004 और दिनांक 26.09.2005 को दो नोटिस भेजे थे, जिसमें अपीलार्थी पत्नी को एक पखवाड़े के भीतर उसके पास वापस आने और वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने के लिए कहा गया था,

लेकिन अपीलार्थी / पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया । अपीलार्थी / पत्नी ने स्वीकार किया है कि उसने दहेज की मांग के संबंध में उत्पीड़न के संबंध में प्रत्यर्थी / पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दिनांक 06.10.2005 को जगदलपुर के पुलिस स्टेशन - बोधघाट में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी । यह भी विवाद में नहीं है कि उक्त प्राथमिकी के आधार पर, प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों यानी उसकी मां, भाई, भाभी, बहन और बहनोई को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ सक्षम दण्डिक न्यायालय में एक आपराधिक मामला लंबित है । प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, अपीलार्थी / पत्नी ने दिनांक 06.10.2005 को फिर से और उसके बाद दिनांक 30.10.2005 को जगदलपुर में प्रत्यर्थी के घर का दौरा किया और उसे घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जैसा कि प्रत्यर्थी / पति ने स्वयं और उसकी मां श्रीमती सुशीला नादन (अ.सा. - 2) द्वारा इस तथ्य के कारण स्वीकार किया है कि अपीलार्थी / पत्नी ने उनके खिलाफ पूरी तरह से झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अपीलार्थी / पत्नी ने अपने बयान में कहीं भी यह नहीं कहा है कि दिनांक 06.10.2005 से पहले, उसे कभी भी घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी या प्रत्यर्थी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसे भगा दिया गया था । दिनांक 06.10.2005 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही, प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने उसे घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी और उसे भगा दिया । यह तथ्य कि प्रत्यर्थी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कभी दहेज की मांग की गई थी, स्थापित नहीं हुआ है । अपीलार्थी पत्नी ने अपनी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने अपने बचाव में प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी क्योंकि वे बार-बार उसे घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे थे और उसे भगा दिया था । हालाँकि, इसके विपरीत, प्रत्यर्थी / पति

(अ.सा. - 1), उनकी माँ श्रीमती सुशीला नादान (अ.सा. - 2) और रवींद्र मसीह (ब. सा. -2) के बयानों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी / पति ने पुजारी रवींद्र मसीह (ब. सा. -2) को एक पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप करके उनके पारिवारिक विवाद को सुलझाने का अनुरोध किया था । रवींद्र मसीह (ब. सा. -2) के बयान से भी यह स्थापित होता है कि वह अन्य व्यक्तियों के साथ विवाद को सुलझाने के लिए जगदलपुर गए थे, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका ।

20. अपीलार्थी / पत्नी ने स्वीकार किया है कि उसने कुटुंब न्यायालय, रायपुर के समक्ष दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एक आवेदन दायर किया था और उसे प्रत्यर्थी पति के पक्ष में खारिज कर दिया गया था और उस निर्णय और डिक्री के विरुद्ध, उसने इस न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील (वैवाहिकी) संख्या 95 / 08 दायर की थी, जिसे दिनांक 15.02.2010 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इस प्रकार, पक्षकारों की अभिवचनो और प्रस्तुत साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि दिनांक 3 अगस्त, 2003 को जगदलपुर से रायपुर लौटने के बाद, अपीलार्थी / पत्नी (ब. सा. -1) ने बिना किसी उचित और युक्तिसंगत कारण के प्रत्यर्थी / पति का साथ छोड़ दिया । अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी / पति और उसके परिवार पर दबाव बनाने के लिए, अपने बचाव में, अपीलार्थी / पत्नी ने उनके विरुद्ध दहेज की माँग के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई और उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ।

22. इस प्रकार, उपरोक्त विवेचनाओं के आधार पर, हमारा मत है कि आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में कोई अवैधानिकता, दुर्बलता या विकृति नहीं है और यह पुष्टि योग्य है । तदनुसार, अपील में कोई सार न होने के कारण, एतद्द्वारा खारिज की जाती है । सिविल वाद क्रमांक

189-ए / 07 में प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर द्वारा पारित दिनांक 8 अप्रैल, 2010 के निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि की जाती है ।

23. वाद-व्यय के संबंध मे कोई कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है ।

24. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) को तदनुसार डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया जाता है ।

सही /-	सही /-
आई.एम.कुद्दुसी	जी. मिन्हाजुद्दीन
न्यायाधीश	न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.